राष्ट्रीय महिला आयोग

दिनांक 18 नवंबर, 2020 को ''परिचालन द्वारा कार्यसूची (एजेंडा बाइ सर्क्यूलेशन)'' के माध्यम से आयोजित आयोग की 210वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सहभागी

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्षा
2.	सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3.	सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
4.	सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
5.	सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
6.	सुश्री मीता राजीवलोचन	सदस्य-सचिव

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए आयोग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ ''परिचालन द्वारा कार्यसूची (एजेंडा बाइ सर्क्यूलेशन)'' के माध्यम से आयोग की 210वीं बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, दिनांक 16 नवंबर, 2020 को ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को कार्यसूची परिचालित कर दी गई थी। ई-मेल में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि दिनांक 18 नवंबर, 2020 तक किसी भी सहभागी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो आयोग की 210वीं बैठक की कार्यसूची मदों को अनुमोदित माना जाएगा।

चूंकि किसी भी सहभागी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उल्लिखित विवरण के अनुसार, निम्नलिखित कार्यसूची मदों को अनुमोदित माना जाता है।

कार्यसूची मद सं. 210/I/1:

दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 को आयोजित आयोग की 209वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 को आयोजित आयोग की 209वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यसूची मद सं. 210/I/2:

दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 को आयोजित आयोग की 209वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

दिनांक 12 अक्तूबर, 2020 को आयोजित 209वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग द्वारा नोट किया गया।

कार्यसूची मद सं. 210/I/3:

दिनांक 29.09.2020 को मातृ एवं बाल चिकित्सा पोषण पर वेबिनार।

आयोग ने वेबिनार के कार्यवृत्त का अनुमोदन करके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं अन्य सहभागियों को कार्यसूची के मदों में दिए गए विवरण के अनुसार परिचालित करने की स्वीकृति दी।

कार्यसूची मद सं. 210/I/4:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रम।

i. गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को द्वितीय किस्त के रूप में 10,00,000/-रूपये (केवल दस लाख रूपये) जारी करने के लिए अनुमोदन।
ii. असम राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए एनएएलएसए को द्वितीय किस्त के रूप में 8,05,000/-रूपये (केवल आठ लाख पांच हजार रूपये) जारी करने के लिए अनुमोदन।

कार्यसूची मद सं. 210/I/5:

दिनांक 24.09.2020 को "निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी: पूर्वोत्तर क्षेत्र" पर वेबिनार की रिपोर्ट।

आयोग ने दिनांक 24.09.2020 को "निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी: पूर्वोत्तर क्षेत्र" पर वेबिनार की रिपोर्ट पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 210/I/6:

दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 को ‘‘एमआईएस पर एसिड हमले की स्थिति’’ विषय पर नोडल अधिकारियों के साथ आयोग की ई-बैठक/वीडियो सम्मेलन के कार्यवृत्त की आयोग ने पुष्टि की।

कार्यसूची मद सं. 210/II/1:

वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और दिनांक 31.10.2020 तक उपगत व्यय।

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और दिनांक 31.10.2020 तक व्यय विवरणी नोट की गई।

कार्यसूची मद सं. 210/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (अक्तूबर, 2020) को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 210/II/3:

महाराष्ट्र राज्य में नाबालिग लड़कियों व महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा एवं उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट।

आयोग ने श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा, रा.म.आ. एवं सुश्री मल्लिका नूरानी (एडवोकेट) द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट को कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार आयोग ने नोट किया।

(मीता राजीवलोचन)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्षा